



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

संजय भा. गवई

Sanjay B Gawai

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष/Phone: +91 7152 252148

फैक्स/Fax: +91 7152 230903

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-06 / 2015

दिनांक 06 अप्रैल, 2015

कार्यालयादेश

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत शोध कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता के लिए प्रेषित किए जाने वाले शोध परियोजना के प्रस्ताव का (वित्तीय अनुदान देने वाली संस्थाओं द्वारा अपेक्षित जानकारी को समाहित करते हुए) एक मानक प्रारूप तैयार करने तथा विश्वविद्यालय को प्राप्त शोध परियोजनाओं का नियमों/प्राप्त अनुदान के आलोक में सुचारु संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है-

- | | |
|---|------------|
| 1. प्रो. चित्तरंजन मिश्र, अधिष्ठाता, शोध | अध्यक्ष |
| 2. प्रो. अरविंद कुमार झा, अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ | सदस्य |
| 3. डॉ. उमेश कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिं. एवं तु.सा. विभाग | सदस्य |
| 4. डॉ. धरवेश कठेरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, मी.एवं सं.अ. केंद्र | सदस्य |
| 5. श्री पवन कुमार, निजी सचिव, प्रतिकुलपति कार्यालय | सदस्य सचिव |

समिति से अपनी रिपोर्ट दिनांक 24 अप्रैल 2015 तक माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध है।

(कुलसचिव)

प्रति,

समस्त संबंधित

प्रतिलिपि,

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. विश्वविद्यालय की वेबसाइट
5. कार्यालय प्रति